

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटके पास, सी-स्कीम जयपुर


क्रमांक : एफ.2(घ)(337)आरएमएस/जॉच/डीएलबी/2024/दौसा/ 655 दिनांक : 20/02/24

:: आदेश ::

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवम् स्वायत्त शासन विभाग के नगर परिषद दौसा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नगर परिषद दौसा में कार्यरत श्री सलीम खान के पास बहुत अधिक संख्या में पट्टो सम्बन्धी पत्रावलियां लम्बित पाई गई है। कतिपय पत्रावलियों में फीस/शुल्क जमा होने के बावजूद उन पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है। श्री सलीम खान के उक्त कृत्य के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवम् अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत श्री सलीम खान – लिपिक नगर परिषद दौसा को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।


निलम्बन काल में इन का मुख्यालय कार्यालय निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में रहेगा तथा इनको नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर परिषद दौसा से किया जावेगा।


(सुरेश कुमार ओला)(IAS)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.2(घ)(337)आरएमएस/जॉच/डीएलबी/2024/दौसा/656-661 दिनांक : 20/02/24
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवम् स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. उप निदेशक (प्रशासन)/(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, निदेशालय/जयपुर।
03. आयुक्त, नगर परिषद दौसा।
04. श्री सलीम खान – लिपिक नगर परिषद दौसा।
05. सुरक्षित पत्रावली।


(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक